प्रेस नोट दिनांक 16.04.2021

पंचायत चुनावो मे इस्तेमाल हेतु ठेके पर शराब विक्रेता द्वारा अवैध रूप से पैक कर बेची जा रही 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब, 167 खाली पऊव्वा व 196 ढक्कन सहित विक्रेता को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही कर पंचायत चुनावो मे इस्तेमाल हेतु ठेके पर शराब विक्रता द्वारा अवैध रूप से पैक कर बेची जा रही 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब सहित विक्रेता को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः—

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा निर्देशन मे पंचायत चुनावों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद में अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.04.2021 को थाना सिविल लाइन पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली शराब की दुकानो की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लुहन्ना चौराहे स्थित देशी शराब की दुकान के अन्दर शराब विक्रता द्वारा फर्जी ढक्कन व बोतल लाकर अवैध रूप से तैयार शराब बोतल बन्द कर असली के रूप में बेची जा रही है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम मुखबिर द्वारा बतायी गयी शराब की दुकान पर पहुंचकर शराब विक्रेता को हिरासत में लेकर जब दुकान के अन्दर शराब को चेक किया गया तो पुलिस टीम को मौके से 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब व अवैध शराब की पेकिंग मे प्रयोग की जाने वाले अन्य सामग्री बरामद की गयी।

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव के चलते शराब की बडी मांग का फायदा उठाकर अधिक लाभ कमाने के लिये उक्त अवैध शराब पैक कर बेची जा रही है।

उक्त अवैध शराब बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 137/2021 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 482 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1. विपिन कुमार पुत्र कनौजी लाल निवासी ग्राम दुर्गापुरा थाना जसवंतनगर, इटावा।

बरामदगीः—

1. 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब(तोहफा ब्राण्ड)
2. 151 क्वार्टर खाली(बिना रैपर)
3. 16 क्वार्टर खली(तोहफा, सुपर कूल, सन्तरा ब्राण्ड रैपर लगे हुए)
4. 196 ढक्कन

बरामदगी एवं गिरफ्तारी टीमः—

पुलिस टीमः— श्री श्यामवीर सिंह प्रभारी निरी0 थाना सिविल लाइन, वरिष्ठ उ0नि अमान सिंह मय हमराह।

आबकारी टीमः— आबकारी निरी0 अमित कुमार, का0 आनन्द प्रकाश, का0 अतुल दीक्षित।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।